राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 12(12)ग्रावि/नरेगा/ज्ञापन/2010/पार्ट–II

जयपुर, दिनांकः

21 AUG 2012

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अलवर।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्मिकों को अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने बाबत।**

संदर्भः आपका पत्रांक प.2/संस्था/2012/2564 दिनांक 19.07.2012

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा है कि संविदा कार्मिकों को देय एक माह का अवैतनिक अवकाश टुकड़ों में क्या एक माह से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही आपने यह भी मार्गदर्शन चाहा है कि अवैतनिक अवकाश की अवधि एक माह से अधिक होने पर संबंधित संविदा कार्मिक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावे।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि संविदा कार्मिकों को एक माह का अवैतनिक अवकाश बतौर अधिकार स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं किया गया है। यह तो केवल उन परिस्थितियों में स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अधिकृत किया गया है, जब कोई संविदा कार्मिक दुर्घटना, गम्भीर बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तथा उसके पास आकस्मिक अवकाश उपलब्ध नहीं है। अवैतनिक अवकाश का अभिप्राय हक के तौर पर एक माह तक की अवधि के लिए कार्यालय से अनुपस्थित रहने की स्वीकृति देना नहीं है। अवैतनिक अवकाश का अभिप्राय केवल 30 दिन तक की उस अवधि को नियमित करना है, जिसमें कार्मिक किसी अपरिहार्य कारण से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका है तथा उसके पास आकस्मिक अवकाश भी शेष नहीं है। इस अवधि को नियमित करने का अधिकार भी केवल जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को है। जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक यदि कार्मिक के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण से संतुष्ट है तथा कार्मिक के पास आकस्मिक अवकाश भी शेष नहीं है तो ऐसी स्थिति में 30 दिन तक की अवधि को अवैतनिक अवकाश के रूप में स्वीकृत कर नियमित किया जा सकता है। यदि कार्मिक का कार्यालय से अनुपस्थित रहने का ठोस कारण नहीं है तो उसके विरूद्ध अनुबंध की शर्त संख्या 6(ii) के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

अतः किसी भी कार्मिक को केवल गम्भीर दुर्घटना, गम्भीर बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहने की स्थिति तथा आकस्मिक अवकाश शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिकतम 30 दिन का अवैतनिक अवकाश जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृत किया जावे।

भवदीय,

(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जिला समस्त राजस्थान।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

अति. आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस